बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं0- 4680468 पटना, दिनांक 06/10/2025

ग्रा0वि0-R-504/18/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-381642)

श्री कुन्दन, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-126789), तत्कालीन अंचल अधिकारी, परबत्ता (खगड़िया) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर) के विरूद्ध वर्ष 2017 में बिहार दाखिल-खारिज अधिनियम की सुसंगत धाराओं का अक्षरशः अनुपालन नहीं करते हुए मूल जमाबंदी से रकवा खारिज किये बिना ही अवैध तरीके से जमाबंदी सृजित करने के आरोप पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-638-(15)/रा० दिनांक-09.04.2024 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर) के पत्रांक-1467 दिनांक-08.10.2024 द्वारा श्री कुन्दन का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री कुन्दन द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, खगड़िया से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-1078 दिनांक-04.06.2025 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया । जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में यह प्रतिवेदित किया गया कि यह सही है कि विभागीय कार्यों का प्रशिक्षण आवश्यक है इससे कार्य नियमानुसार होता है तथा गुणवत्ता में वृद्धि होती है । इनके द्वारा राजस्व कार्यों के प्रशिक्षण के अभाव में प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है । बिहार दाखिल खारिज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अनुपालन नहीं करने में इनका दुराशय (Malafide Intention) प्रतीत नहीं होता है ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र, श्री कुन्दन द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत जिला पदाधिकारी के अभिमत से सहमत होते हुए श्री कुन्दन, तत्कालीन अंचल अधिकारी, परबत्ता (खगड़िया) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर) के विरूद्ध संचालित मामले को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त निर्णय के आलोक में मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6.10.25

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Section-014\Year-2025\Office Order-2025\Notification(2025)-20.doc-

ज्ञापांकः- 4680468 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 06/10/2025

काण्परि०बही

ग्रा0वि0- R-504/18/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-381642)

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- यथोक्त।

6.10.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः- 4680468 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 06/10/2025

स्पीड पोस्ट/ ई-मेल

ग्रा0वि0- R-504/18/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-381642)

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, खगड़िया एवं समस्तीपुर/उप विकास आयुक्त, खगड़िया एवं समस्तीपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया एवं समस्तीपुर/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03/ हुए श्री कुन्दन, तत्कालीन अंचल अधिकारी, परबत्ता (खगड़िया) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर)/आई०टी०मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6.10.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः- 4680468 / पटना, दिनांक :- 06/10/2025

ग्रा0वि0- R-504/18/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-381642)

प्रतिलिपिः- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

6.12.25

सरकार के संयुक्त सचिव